

पत्रांक:- एन0बी0सी0पी0 / निविदा / 2016-17 /

दिनांक-12.08.2016

अल्पकालिक निविदा सूचना

राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में होने वाले मोतियाबिन्द आपरेशन एवं स्कूल स्क्रीनिंग कार्यक्रम तथा वृद्धजनों के दृष्टिदोष (प्रेस बायोपिया) से सम्बन्धित मरीजों हेतु चश्मों के क्रय किये जाने के संबंध में दिनांक-31.08.2016 को निविदा आमन्त्रित की जाती है, उक्त निविदा दिनांक-31.08.2016 को प्रातः 10:30 बजे से अपरान्हः 03:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय में स्थित निर्धारित बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन दिनांक-31.08.2016 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के कक्ष में अपरान्हः 03:30 बजे निविदा समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदाताओं के निर्मता, अधिकृत एजेंसी के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निर्मता फर्म/अधिकृत एजेंसी दिनांक-16.08.2016 से दिनांक-30.08.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 1000/- नगद भुगतान कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर (अन्धता नियन्त्रण अनुभाग से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं) निविदा से सम्बन्धित शर्तें एवं नियम निविदा फार्म में उपलब्ध होंगे निविदा से सम्बन्धित जानकारी एन0आई0सी0 वेबसाइट www.jaunpur.nic.in पर से भी प्राप्त की जा सकती है।

(डा0 रविन्द्र कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जौनपुर।

दिनांकित-

पत्रांक:- एन0बी0सी0पी0 / निविदा / 2016-17 / 14831-36

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम जौनपुर।
2. जिला सूचना अधिकारी, को इस आशय प्रेषित कि उल्लेखित सूचना राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र (सबसे ज्यादा बिकने वाले) में प्रकाशित कराकर विज्ञापन/बिल सत्यापित करते हुए भुगतान हेतु (अन्धता नियन्त्रण अनुभाग) में प्रस्तुत करें।
3. डी0आई0ओ0एन0आई0सी0 जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा विज्ञापित जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोटिस बोर्ड।
5. कार्यालय जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, नोटिस बोर्ड।
6. अभिलेखार्थ।

(डा0 रविन्द्र कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जौनपुर।

निविदा फार्म (2016-17)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर।
निविदा से सम्बन्धित सेवा शर्तें

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर

निविदा संख्या:-एन०बी०सी०पी०/चश्मा/क्रय/निविदा/2016-17/

दिनांक-16.08.2016

- निविदा प्रपत्र - रू० 1000.00 (एक हजार मात्र)
 - निविदा फार्म क्रय करने की तिथि - 16.08.2016 से 30.08.2016 (कार्य दिवस)
 - निविदा फार्म जमा करने की तिथि प्रातः 31.08.2016 को समय प्रातः 10:30 से लेकर 3:00 बजे तक।
 - निविदा खोलने की तिथि 31.08.2016 को अपराह्न 3:30 बजे के बाद, कार्यालय मु०चि०आ० जौनपुर के अनुश्रवण कक्ष में खोली जायेगी।
 - निविदा के साथ अर्नेस्ट मनि (धरोहर राशि) चश्मा हेतु - रू० 15,000 जो जिला स्वास्थ्य समिति के नाम प्लेज होगी (एफ०डी०आर०, एन०एस०सी०,)
1. निविदा दाता के फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य जिसकी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना है।
 2. निविदा दाता का व्यापार कर, आयकर (विगत तीन वर्ष का) एवं समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
 3. निविदादाता को रू० 50,000/- तक के मूल्य के निविदा में भाग लेने के लिए कम से कम तीन वर्षों में 50,00,000/- प्रति वर्ष का टर्नओवर होना अनिवार्य है, तथा रू० 50,001/- से अधिक रू० 2,00,000/- मूल्य के चश्मा निविदा में भाग लेने के लिए कम से कम तीन वर्षों में 5,00,00,000/- प्रतिवर्ष का टर्नओवर आवश्यक होना है, इससे सम्बन्धित विचारोपरान्त यथोचित निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जायेगा, जो मान्य होगा।
 4. मूल निर्माता फर्म को वरियता दी जायेगी।
 5. (क)- चश्मा आपूर्ति निविदा दाता का फर्म होल सेल लाइसेन्स चश्मों के कार्य में पंजीकरण होना अनिवार्य है एवं आपूर्ति एसिटेड फ्रेम एवं इग्लिस ग्लास में रिफेक्शन नम्बर के अनुसार समय-समय पर आवश्यकतानुसार तैयार करके आदेश तिथि के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर प्रदान करना अनिवार्य होगा।
(ख)- फर्म का लाइसेन्स नम्बर, आयकर, रिटर्न वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 का बैलेंस शीट/ व्यापार कर हेतु रजिस्ट्रेशन/पैन नम्बर की फोटोप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
(ग)- लेन्स प्रत्यारोपण के उपरान्त प्रदान किये जाने वाले काला चश्मा अधिकतम मूल्य समस्त कर सहित रू० 50/- के अन्तर्गत होना चाहिए, अन्यथा की दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
(घ)- बुजुर्ग मरीजों (45 वर्ष के ऊपर) को रिफेक्शन नम्बर के अनुसार (प्रेसबायोओपिया) विभिन्न चश्मों हेतु, अधिकतम मूल्य समस्त कर सहित रू० 100/- के अन्तर्गत होना चाहिए अन्यथा की दशा में दर अधिक होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
(च)- चयनित फर्म को अनुमानित लागत 10 प्रतिशत धरोहर राशि एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० जो सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के पक्ष में बन्धक होगी।
(छ)- समस्त चश्मों का नमूना 5-5 पीस निविदा डालते समय देना अनिवार्य होगा।
 6. निविदादाता का अपना टीन नम्बर फार्म 11 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 7. चश्मा आपूर्ति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर आदेश निर्गत किये जायें तथा आदेश के दिनांक-से 15 दिनों के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपूर्तिकर्ता फर्म की धरोहर राशि में से प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी।
 8. चश्मों की दर यदि अनुबंध सी०एम०एस०डी०/ई०एस०आई० से उपलब्ध होती है तो ऐसी दशा में निविदादाता से चश्मा क्रय करना आवश्यक नहीं होगा।
 9. स्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी तब तक बन्धक रहेगी जब तक की समस्त चश्मों की आपूर्ति नहीं हो जाती है।
 10. कोई भी निविदा इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त भरे जाने पर बैध नहीं

11. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा, इस सम्बन्ध में किसी निविदादाता का कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा, निविदा से सम्बन्धित मामले में उत्पन्न किसी भी विवाद पर अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा, जिस पर माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेंगी।
12. निविदा खोले जाने वाले तिथि के दिन यदि कोई राजकीय अवकाश आदि पड़ता है अथवा राजकीय कार्यों की व्यस्तता के कारण निविदा दिनांक 31.08.2016 को नहीं खोले जाने की दशा में नयी तिथि निविदादाताओं को उनके दूरभाष पर दी जायेगी, साथ ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चरपा कर दिया जायेगा।
13. निविदादाता निविदा डालते समय इस बात का विशेष ध्यान देगा कि एक सील बन्द लिफाफा "टेक्नीकल बिड" में उसके समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि सील बन्द रहेगी, साथ ही लिफाफे के ऊपर उसका उल्लेख होगा। तथा दूसरा सील बन्द लिफाफा "फाइनेशियल बिड" में मांगी गयी चरमें की दर होगी, जिसका उल्लेख लिफाफे के ऊपर अंकित होगा, इसके उपरान्त उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े सील बन्द लिफाफे में रखना होगा, प्रथम सील बन्द लिफाफे में समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पाने पर ही दूसरा लिफाफा खोला जायेगा, उक्त समस्त सील बन्द लिफाफे अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रेषित होगा, जिसमें प्रेषक के रूप में निविदा दाता का नाम पता व मोबाईल नं० अंकित होगा।
14. निविदा दाता द्वारा रू० 100.00 (सौ रूपये मात्र)के स्टाम्प पेपर संलग्न करते हुए उस पर उल्लेखित करें कि मेरे द्वारा निविदा सम्बन्धी समस्त शर्तें पढ ली गयी है एवं स्वीकार है हस्ताक्षर के साथ संलग्न करेंगे।
15. निविदा, निविदा नियमों के अन्तर्गत आमन्त्रित करने वाले, जो प्रथम पक्ष कहलायेगा तथा जिसकी निविदा नियमानुसार स्वीकृति होगी वह द्वितीय पक्ष कहलायेगा दोनों पक्षों के बीच में रू०-100/- (एक सौ मात्र) स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार निविदा अनुमोदन होने के उपरन्त अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
 एजेंसी का पूर्ण पता—.....
 मोबाइल नं०